न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2023 उनवान सन्तोष बनाम रामनारायण ::

1. सँतोष देवी पत्नी रामेश्वर जाति माली आयु लगभग बालिग निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

--प्रार्थीया

बनाम

1. रामनारायण पुत्र पांचू जाति जाट
2. श्रीराम पुत्र पांचू जाति जाट (फौत)
   2/1 रामदयाल पुत्र स्व. श्रीराम जाट
   2/2 सुखदेव पुत्र स्व. श्रीराम जाट
   2/3 जगदीश पुत्र स्व. श्रीराम जाट
   2/4 गोपाल पुत्र स्व. श्रीराम जाट
3. हंसराज पुत्र रामनारायण जाति जाट उम्र बालिग निवासी ग्राम अरांई तहसील अंराई अजमेर राज.।
4. घनश्याम पुत्र बद्रीलाल जाति धोबी, बालिग
5. जगदीश पुत्र काना जाति धोबी (फौत)
   5/1 सूरज पुत्र स्व. जगदीश
6. भंवरी पत्नी बद्रीलाल जाति धोबी
7. रामचन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाति धोबी
8. रामस्वरूप पुत्र काना जाति धोबी (फौत)
   8/1 विजय पुत्र स्व. रामस्वरूप जाति धोबी उम्र बालिग निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई अजमेर राज।
9. रामकरण पुत्र बालू जाति भील (फौत)
   9/1 सुवालाल पुत्र स्व. रामकरण
   9/2 हनुमान पुत्र स्व. रामकरण
10. हरजी पुत्र बालू जाति भील सर्व निवासी ग्राम अरांई तह[illegible]ई जिला अजमेर राज0।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई,तहसील अरांई जिला [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

--अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.04.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 02.08.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 34/2023 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त, एकल खातेदारी व आधिपत्य की भूमि ग्राम अराई तहसील अराई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 1860 क्षेत्रफल 0.0485 हैक्टैयर किस्म गै.मु. बाडा है, जो कि वर्तमान में प्रार्थीया के नाम दर्ज है जिसके चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि है जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार अराई के समक्ष पेश किया था जिसपर पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा दिनांक 01.07.2020 को पेश किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थीया कृषि कार्य कर रही है किन्तु सीमाज्ञान होने के बावजूद अप्रार्थी उक्त भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है।
2. प्रार्थीया की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम अराई पटवार हल्का अराई तहसील अराई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1860 रकबा 0.0485 हैक्टेयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।
3. दिनांक 25.08.2023 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 09 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे इसीलिये दिनांक 12.04.2024 को अप[illegible] 01 से 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 12.04.2024 को हमारे द्वारा [illegible] प्रार्थी को सुना गया तथा प्रकरण में पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Sahran
Date: 2024.07.08 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

रे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई तहसील अरांई में स्थित, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1860 रकबा 0.0485 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/— रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर वादअधीन भूमि ग्राम ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई तहसील अरांई में स्थित, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1860 रकबा 0.0485 हैक्टेयर का पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested